तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **प्रदीप विधानी बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)** सू.अ.अ. अपील संख्या 126/2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08-06-2022	अपीलार्थी प्रदीप विधानी पुत्र स्व. नानकराम पता डी–37, उम्मेद क्लब रोड़, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 28.03.2022 में (1) जिला कलक्टर जोधपुर को एक आवेदन दिनांक 20.02.2022 को जरिये रजिस्टर्ड ईमेल द्वारा भेदभाव को समाप्त करने के संबंधमें प्रस्तुत किया था, आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् जिला कलक्टर द्वारा की गई कार्यवाही से व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर जोधपुर कार्यालय) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 667 दिनांक 23.05.2022 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी का आवेदन पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत लोक सूचना अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण को कार्यालय के पत्रांक 490 दिनांक 13.04.2022 द्वारा अंतरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया जिसकी प्रति प्रार्थी को भी पृष्ठांकित की गई। चूंकि अपीलार्थी/प्रार्थी का उक्त आवेदन बाबत् सूचना का अधिकार अधिनियम विधिक प्रकिया के तहत जोधपुर विकास प्राधिकरण को अंतरित किया जा चुका है तथा इस बाबत् लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को सूचित भी किया जा चुका है। लोक सूचना अधिकारी जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा यदि सूचना नहीं दी गई तो उनके प्रथम अपीलीय अधिकारी आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण है, न कि जिला कलक्टर जोधपुर। अतः अपील पोषणीय नहीं होने निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 18:16:13 IST
Reason: SelfAttested